

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या: 44 / 2020

"एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड"
मुख्य व्यवसायिक कार्यालय:- 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स,
शास्त्री सर्किल, उदयपुर

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1) श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री देवेंद्र सिंह जाति राजपुत
निवासी:- 104, किले के अंदर, ग्राम शेरगढ, तहसील मसूदा,
जिला अजमेर (राज0) पिन नम्बर-305623
- (2) श्री देवेंद्र सिंह पुत्र श्री शम्भु सिंह जाति राजपुत
निवासी:- वार्ड नं0 3, 150 घ, ग्राम शेरगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज0) पिन
नम्बर-305623
- (3) श्री अजीत सिंह पुत्र श्री देवेंद्र सिंह जाति राजपुत
निवासी:- वार्ड नं0 03, 104, किले के अंदर, ग्राम शेरगढ, तहसील मसूदा,
जिला अजमेर (राज0) पिन नम्बर-305623
- (4) श्री छोटु पुत्र श्री नाजीर
निवासी:- 243, बडिया भीम की बेरी, सेक्टर 3, शेरगढ, तहसील मसूदा,
जिला अजमेर (राज0) पिन नम्बर-305623
- (5) श्री शिवराज चौधरी पुत्र श्री रतन चौधरी
निवासी:- 378, जाटो का मोहल्ला, शेरगढ, तहसील मसूदा,
जिला अजमेर (राज0) पिन नम्बर-305623

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिक्सटक्शन
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- अवतार सिंह उप्पल

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 28.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 03 को दिनांक 20.04.2017 को रु. 4,00,000/- (अक्षरे चार लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम शेरगढ, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज0) स्थित अचल सम्पत्ति पट्टा सं0 33, बुक सं0 22, संकल्प सं0 01/21.01.2013, क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट है, जिसमें भूमि भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो श्री देवेंद्र सिंह पुत्र श्री शम्भु सिंह जाति राजपुत के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्नानुसार है- पूर्व में-जय सिंह जी की खाली जगह, पश्चिम में-सामलाती चौक व गेट, उत्तर में-गजराज सिंह जी का मकान, दक्षिण में- भवानी सिंह जी का मकान, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और



A. Sharma
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

दिनांक 21.07.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 20.06.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 5,34,290/- (अक्षरे पांच लाख चौतीस हजार दो सौ नब्बे रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक ग्राम शेरगढ, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज0) स्थित अचल सम्पत्ति, पट्टा सं0 33, बुक सं0 22, संकल्प सं0 01/21.01.2013, क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट है, जिसमे भूमि भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री शम्भु सिंह जाति राजपुत के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ निम्नानुसार है- पूर्व में-जय सिंह जी की खाली जगह, पश्चिम में-सामलाती चौक व गेट उत्तर में-गजराज सिंह जी का मकान, दक्षिण में- भवानी सिंह जी का मकान,, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों व वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वह किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्व कायद जारी हो।

आदेश आज दिनांक 28.01.2020 को सुनाया गया।

विश्व मोहन शर्मा

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

